

कृषक परपत्र सं०. 1920087 दिनांक 20.02-2020

पत्र संख्या/ 946 /पंजीयन अभियान/भवन किराये पर कर/सूचना-प्रारूप/2019-20/आर-601 वाणिज्य कर।

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश  
(जी0एस0टी0 अनुभाग)

लखनऊ: दिनांक: जनवरी, 2020

20 फरवरी 2020

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,  
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय:- मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 12 एवं 20 नवम्बर, <sup>2019</sup> ~~2020~~ को की गयी वाणिज्य कर विभाग के जोनल/सम्भागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक के सम्बन्ध में।

कृपया उक्त विषयक शासन के पत्र सं०- 244/11-2-2020-9(1)/2020टी0सी0-1 दिनांक 18 फरवरी, 2020 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निम्न बिन्दु पर एक सप्ताह के अंदर शासन को आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है-

“ऐसे भवन स्वामी जिनके द्वारा अपने भवनों को बड़े-बड़े शोरूम के लिए किराए पर दे दिया गया है, क्या उनके द्वारा नियमानुसार अनुमन्य सर्विस टैक्स अदा किया जा रहा है ?”

2- आप अवगत हैं कि, Renting of immovable property सप्लार्इ आफ सर्विसेज है तथा सर्विसेज के सप्लायर्स के लिए पंजीयन थ्रेशहोल्ड रू0 20 लाख वार्षिक है। Central Government, State Government, Union territory or Local authority द्वारा किसी Business Entity को दी जाने वाली immovable property की Renting Services रिवर्स चार्ज बेसिस पर करयोग्य हैं। उल्लेखनीय है कि जिन Business Entities की करदेयता रिवर्स चार्ज बेसिस पर है, उनके मामले में पंजीयन हेतु थ्रेशहोल्ड सीमा रू0 40 लाख अथवा रू0 20 लाख लागू नहीं होती ऐसी Business Entities के लिए पंजीयन प्राप्त करना अनिवार्य है।

3- उक्त के क्रम में निर्देश दिये जाते हैं कि शासन द्वारा वांछित सूचना इस परिपत्र के साथ संलग्न प्रारूप-1 एवं 2 में दिनांक 25 फरवरी, 2020 तक जी0एस0टी0 अनुभाग की ई-मेल आई0डी0- upctres1@gmail.com पर Excel में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। किसी अन्य माध्यम/प्रारूप से प्राप्त सूचना अप्राप्त मानी जाएगी।

कृपया समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करें, जिससे शासन द्वारा वांछित आख्या समय से शासन को उपलब्ध करायी जा सके।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

(अमृता सोनी)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिपत्र संख्या/ 946 /पंजीयन अभियान/भवन किराये पर कर/सूचना-प्रारूप/2019-20/आर-601

दिनांक-26 फरवरी, 2020 का संलग्नक।

जोन का नाम-.....

प्रारूप-1 (Forward charge basis पर करदेयता)

Forward charge basis पर करयोग्य व्यवसायिक भवनों की संख्या	कॉलम-1 में से पंजीकृत की संख्या	कॉलम-3 में अंकित पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा जमा किये जा रहे कर की धनराशि (वर्ष-2019-20)	कॉलम-1 में से करयोग्य अपंजीकृत व्यक्तियों को पंजीकृत कराये जाने के संबंध में प्रयास
1	2	3	4

प्रारूप-2 (Reverse charge basis पर करदेयता)

RCM Basis पर करदेयता वाले भवनों	RCM Basis पर कर के भुगतान हेतु दायी व्यापारियों की संख्या	कॉलम 2 में से आर0सी0एम0 हेतु दायी व्यापारियों में से पंजीकृत	RCM पर प्राप्त कर (वर्ष- 2019-20)	कॉलम 2 में से अपंजीकृत व्यक्तियों को पंजीकृत कराये जाने के संबंध में प्रयास।
---------------------------------	---	--	-----------------------------------	--

प्रेषक,

संतोष कुमार,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,  
वाणिज्यकर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक: 18 फरवरी, 2020

विषय: मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 12 एवं 20 नवम्बर, 2019 को की गयी वाणिज्य कर विभाग के जोनल/सम्भागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपत्ते, पत्रांक-एस0एस0-पंजीयन प्रगति-2019-20/924/वाणिज्य कर दिनांक 12.02.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्या ऐसे भवन स्वामी जिनके द्वारा अपने भवनों को बड़े-बड़े शोरूम के लिए किराए पर दे दिया गया है, क्या उनके द्वारा नियमानुसार अनुमन्य सर्विस टैक्स अदा किया जा रहा है? के सम्बन्ध में आख्या एक सप्ताह में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

De (GST)  
SC

678  
19/2/20

4422

Add. Com. (Law)

कमिश्नर  
19.02.2020

JDC (लेखा)  
JDC (विकास) (II)  
इस पत्र में एक नए नमूने के अंतर्गत अवदीय  
वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत  
19/2/20  
(संतोष कुमार)  
संयुक्त सचिव।

19-02-2020  
SC